प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः **A.C.B O.P. Alwar-1st, Alwar** थानाः **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष 2022

प्र.ई.रि.सं. 443/22 दिनांक 16/11/2022

2.–(1) अधिनियमः **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018** **धारा 7,**

(2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारा.....

(3) अधिनियम..... धारायें.....

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 274 समय 4.00 P.M.

(ब) अपराध के घटने का दिनः मंगलवार दिनांक 15/11/2022, समय 11.36 ए.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – गुरूवार दिनांक 10/11/2022, समय 02.20पी.एम.

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः दूरी करीब 55 किमी., ए.सी.बी., चौकी अलवर सें

(ब) पताः– **स्व. श्री फुलसिंह पटवारी का मकान, श्याम धर्म कांटे के पास, अलवर रोड तिजारा**

बीट संख्या ..... जरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना .....जिला.....

6.– परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री कुर्शेद (ब) पिता का नाम :– श्री असरफ

(स) जन्म तिथि :– उम्र 48 साल (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य)पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह

(र)व्यवसायः–

(ल)पताः– निवासी सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर

7.– ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

विष्णु कुमार पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह, जाति अहीर, उम्र 31 साल, निवासी ग्राम बिसदा, पोस्ट झारोली, पुलिस थाना सेवर, तहसील व जिला भरतपुर, हाल पटवारी, पटवार हल्का, सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– .....

9.– चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–

10.–चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः– 04,000 / –रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा / यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 10.11.2022 को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक प्रेम चन्द को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की थी, कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर । विषयः– पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर के रिश्वतखोर पटवारी श्री विष्णु को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने के लिये। महोदय, निवेदन है कि मैं कुर्शेद पुत्र असरफ, जाति मेव, उम्र 48 साल, निवासी सरेहटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर का रहने वाला हूँ तथा जमीदारा का काम करता हूँ। ग्राम सरेहटा में मेरी व मेरे भाईयों महमूद, आस मोहम्मद एवं मेरे भाभी सगरी व उसके बच्चों की खाता संख्या 26, 34, 35, 36, 434, 472 व 485 में दर्ज विभिन्न खसरा नम्बरान की सामलाती खातेदारी कृषि भूमि हमारे नाम से है। हम हमारी खातेदारी भूमि पर अपने–अपने हिस्से पर के.सी.सी. का लोन लेना चाहते है, जिसके लिये मैं हमारी जमीन की ई–मित्र वाले से ऑन लाईन सरकारी फीस जमा करवाकर केसीसी लोन के लिये चार फाईले तैयार करवाकर हमारे पटवार हल्का सरहेटा के पटवारी श्री विष्णु कुमार से आज मिला और हमारी जमीन पर के.सी.सी. लोन लेने हेतु हमारी चारों फाईलों में पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर फाईलें तैयार करने के लिये कहा तो श्री विष्णु कुमार पटवारी ने मेरे से कहा कि मैंने आपकी बहिनों के हकत्याग का नामान्तकरण दिनांक 20.10.2022 को आपके पक्ष में दर्ज कर तहसीलदार साहब से दिनांक 04.11.2022 को ऑनलाईन करवा दिया, उसके खर्चे पानी की फीस 2000 रूपये आपने अभी तक नही दिये है और आप के.सी.सी. के लोन की फाईल तैयार करवाने के लिये मेरा पास आ गये हो आप कोई खर्चा–पानी तो कर नही रहें हो और फालतू की फोकट की बात करते हो। यदि आपको के. सी.सी. के लोन की फाईलें तैयार करवानी है, तो मुझें 2000 रूपये तो आपके हक त्याग के नामान्तकरण के खर्चे की बकाया फीस के व प्रति फाईल 500 रूपये के हिसाब से 2000 रूपये केसीसी की चारों फाईलों के इस प्रकार कुल 4,000 रूपये देने पडेगें और अब आप मुझे पहले पैसें दोगें तब ही मैं आपकी चारों फाईलें तैयार करके तहसीलदार को दूंगा तथा बिना पैसे में आपकी फाईलें आपसे नही लूंगा और तैयार नही करूंगा। मैं हमारे पटवार हल्का सरेहटा के पटवारी श्री विष्णु कुमार को हमारे हकत्याग के नामान्तकरण को हमारे पक्ष में दर्ज करने के एवं हमारी के.सी.सी. के लोन की

4

चार फाईले तैयार करने की एवज में उसको 4,000 रूपये रिश्वत के नही देना चाहता हूँ तथा उसे मेरे से रिश्वत लेते हुये को ए.सी.बी. से रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक 10.11.2022 प्रार्थी कुर्शेद पुत्र श्री असरफ,जाति मेव, उम्र 48 साल, निवासी सरहेटा, तहसील व थाना तिजारा, जिला अलवर। मोबाईल नं0 8000849136। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र परिवादी श्री कुर्शेद को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री कुर्शेद ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि ग्राम सरेहटा में मेरी व मेरे भाईयों महमूद, आस मोहम्मद एवं मेरे भाभी सगरी व उसके बच्चों की राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 26, 34, 35, 36, 434, 472 व 485 में दर्ज विभिन्न खसरा नम्बरान की सामलाती खातेदारी कृषि भूमि हमारे नाम से है। हम हमारी खातेदारी भूमि पर अपने–अपने हिस्से पर के.सी.सी. का लोन लेना चाहते है, जिसके लिये मैं हमारी जमीन की ई–मित्र वाले से ऑन लाईन सरकारी फीस जमा करवाकर केसीसी लोन के लिये मेरी व मेरे भाईयों महमूद, आस मोहम्मद एवं मेरे भाभी सगरी व उसके बच्चों की चार फाईले तैयार करवाकर हमारे पटवार हल्का सरहेटा के पटवारी श्री विष्णु कुमार से आज मिला और हमारी जमीन पर के.सी.सी. लोन लेने हेतु हमारी चारों फाईलों में पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर फाईलें तैयार करने के लिये कहा तो श्री विष्णु कुमार पटवारी ने मेरे से कहा कि मैंने आपकी बहिनों के हकत्याग का नामान्तकरण दिनांक 20.10.2022 को आपके पक्ष में दर्ज कर तहसीलदार साहब से दिनांक 04.11.2022 को ऑनलाईन करवा दिया है, उसके खर्चे पानी की फीस 02 हजार रूपये आपने अभी तक मुझे नही दिये है और आप के.सी.सी. के लोन की फाईल तैयार करवाने के लिये मेरा पास आ गये हो आप कोई खर्चा–पानी तो कर नही रहें हो और फालतू की फोकट की बात करते हो। यदि आपको मेरे से आपकी के.सी.सी. के लोन की फाईलें तैयार करवानी है, तो मुझें 02 हजार रूपये तो आपके हकत्याग के नामान्तकरण के खर्चे की बकाया फीस के है वो व प्रति फाईल 500 रूपये के हिसाब से 2 हजार रूपये केसीसी की चारों फाईलों के इस प्रकार कुल चार हजार रूपये देने पडेगें और अब आप मुझे पहले पैसें दोगें तब ही मैं आपकी चारों फाईलें तैयार करके तहसीलदार को दूंगा तथा बिना पैसे के मैं आपसे, आपकी फाईलें नही लूंगा और तैयार भी नही करूंगा। मैं हमारे पटवार हल्का सरहेटा के पटवारी श्री विष्णु कुमार को हमारे हकत्याग के नामान्तकरण को हमारे पक्ष में दर्ज करने के एवं हमारी के.सी.सी. के लोन की चारों फाईले तैयार करने की एवज में उसको चार हजार रूपये रिश्वत के नही देना चाहता हूँ तथा उसे मेरे से रिश्वत लेते हुये को ए.सी.बी. से रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है और ना ही कोई उधार का लेन–देन बकाया है। परिवादी श्री कुर्शेद ने यह भी बताया कि वह पढा–लिखा नही है, उसको मात्र अक्षर ज्ञान ही है और वह अपने हस्ताक्षर करना ही जानता है तथा ठीक से पढ–लिख नही पाता है। इसलिए उसने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं ने बोल–बोल कर एक कम्प्यूटर वाले से टाईप करवाकर लाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। दौराने पूछताछ परिवादी श्री कुर्शेद ने अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की छायाप्रति पर स्वयं के हस्ताक्षरशुदा प्रस्तुत किया, जिन्हे बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगाकर परिवादी श्री कुर्शेद को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर रिश्वती मांग का सत्यापन करवाने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि अभी वह श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा के पास रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता करने के लिये जायेगा, तो उसे वह कस्बा तिजारा में स्थित उसके किराये के कार्यालय पर नही मिल पायेगा, क्योंकि तिजारा पहुंचने में समय लगेगा और वह अपने किराये के कार्यालय पर अधिकांशतः 4 बजे तक ही रहता है और वह जल्दी ही अपने घर चला जाता है। इसलिए उसे आज श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा, अपने किराये के कार्यालय में नही मिलेगा तथा अगले दिवसों में दिनांक 12.11.2022, 13.11.2022 को शनिवार, रविवार का अवकाश होने से वह दिनांक 11.11.2022 शुक्रवार को जल्दी ही अपने गॉव भरतपुर चला जाता है। जब भी अगले कार्यदिवसों में वह श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा से रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता करने के लिये उसके किराये के कार्यालय तिजारा पर जायेगा, तब वह फोन कर बता देगा कि उसे तिजारा में लाकर कोई ए.सी.बी. का आदमी डिजिटल वाईस रिकार्डर दे दे, उस समय वह श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर से बात करके रिश्वत मांग का सत्यापन करवा देगा। जिस पर श्री महेश कुमार कानि0 462 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री कुर्शेद से परिचय करवाया जाकर उक्त दोनों के आपस में मोबाईल नम्बर दिलवाये गये तथा परिवादी श्री कुर्शेद को हिदायत दी गई कि वह जब भी श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा के पास रिश्वत मांग सत्यापन के लिये जाये,

तो उसकी सूचना से मन पुलिस निरीक्षक या उक्त कानि0 को अवगत करावे, ताकि रिश्वत मांग सत्यापन हेतु उसे तिजारा में डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया जा सकें। तत्पश्चात परिवादी श्री कुर्शेद को गोपनीयता की हिदायत कर समय 03.10 पी.एम.पर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया।

दिनांक 14.11.2022 को समय 10.30 ए.एम. को श्री महेश कुमार कानि0 462 ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि उसकी परिवादी श्री कुर्शेद से वार्ता हुई है और वह आज श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर से रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता करने हेतु उसके पास उसके किराये के कार्यालय तिजारा में जाने के लिये बताया है और उसने मुझे डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर कस्बा तिजारा, जिला अलवर बुलाया है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की आलमारी से ब्यूरों का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकाल कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगाकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द कर निर्देशित किया गया कि वह परिवादी श्री कुर्शेद से सम्पर्क कर उसके बताये गये स्थान पर जाकर परिवादी से मिले तथा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी के साथ पटवारी हल्का सरहेटा के पास जाकर परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का एवं संदिग्ध आरोपी की पहचान करने का प्रयास करे तथा बाद सत्यापन कार्यवाही परिवादी को हमराह लेकर ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आवे। श्री महेश कुमार कानि0 462 को मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के वास्ते मांग सत्यापन कार्यवाही बजानिब तिजारा, जिला अलवर रवाना किया गया। समय 04.30 पी.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु गया हुआ श्री महेश कुमार कानि0 462 ब्यूरों कार्यालय, अलवर उपस्थित होकर डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि वह रिश्वत मांग, सत्यापन हेतु मय विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर के ब्यूरों कार्यालय अलवर से रवाना होकर समय करीब 12.30 पी.एम.पर कस्बा तिजारा पहुंचा, जहॉ पर परिवादी श्री कुर्शेद मौजूद मिला तथा इसके बाद समय करीब 12.36 पी.एम.पर परिवादी श्री कुर्शेद को विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द किया एवं परिवादी कुर्शेद को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा के पास कस्बा तिजारा स्थित उसके किराये के कार्यालय पर भिजवाया गया। परिवादी श्री कुर्शेद, संदिग्ध आरोपी श्री विष्णु कुमार पटवारी के किराये के कार्यालय के अन्दर चला गया और मैं भी अपनी पहचान छुपाते हुये उक्त किराये के कार्यालय के नजदीक जाकर देखा तो उक्त किराये के कार्यालय के कमरे पर कम्प्यूटर से मोटे अक्षरों में विष्णु कुमार, पटवारी, सरहेटा लिखा हुआ था। तत्पश्चात मैं उक्त कार्यालय से कुछ दूरी पर अपनी उपस्थित छुपाते हुये खडा हो गया। समय करीब 5–6 मिनट बाद परिवादी श्री कुर्शेद, संदिग्ध आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी के उक्त कार्यालय से बाहर निकल कर मेरे पास आया और परिवादी श्री कुर्शेद ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मुझे दे दिया जिसको मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तत्पश्चात परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आपसे डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर उसे अपने साथ लेकर अपनी केसीसी की चारों फाईलों सहित संदिग्ध आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर के पास, उसके किराके के कार्यालय पर गया, जहा पर श्री विष्णु कुमार पटवारी अपने उक्त कार्यालय में कागजों का काम करता हुआ मौजूद मिला, जिससे मैंने हमारी के0सी0.सी0 की फाईलों को तैयार करने के लिये कहा तो उसने मेरे से हमारी चारों फाईलों को लेकर उन्हे देखकर 500 रूपये प्रति फाईल के हिसाब से चारों फाईलों के 2000 रूपये तथा पूर्व में हमारी बहिनों के हक त्याग का नामान्तकरण हमारे पक्ष में दर्ज करने के खर्चे–पानी की बकाया फीस के नाम से 2000 रूपये इस प्रकार कुल 4000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा मेरे द्वारा उक्त रिश्वत राशि कल दिनांक 15.11.2022 को सुबह देने के लिये कहने पर उसने हमारी के.सी.सी. लोन की चारों फाईलों को अपने पास रख लिया और वह मेरे से कुल 04 हजार रूपये रिश्वत के लेने हेतु सहमत हो गया। मेरी, श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा से हुई सभी वार्तालाप को मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। इसके बाद परिवादी श्री कुर्शेद ने मुझे बताया की उसके पास संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नही है और उसको तिजारा/अपने गॉव ही रूककर रिश्वत राशि की व्यवस्था करनी है। इसलिये आज वो अलवर नही चल सकता है तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु वो रिश्वत राशि 04 हजार रूपये की व्यवस्था होने पर दिनांक 15.11.2022 मंगलवार को सुबह करीब 08.00 बजे तक ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित हो जायेगें और वो वही पर रूक गया। तत्पश्चात श्री महेश कुमार कानि0 462 द्वारा प्रस्तुत रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा चालू कर सुना गया। जिसमें संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी श्री कुर्शेद से उनके के.सी.सी. लोन के लिये चारों फाईलों को तैयार करने की एवज में 500 रूपये प्रति फाईल के हिसाब से 2000 रूपये एवं पूर्व में हक त्याग का नामान्तकरण दर्ज करने की एवज में पहले की बकाया रिश्वत राशि 2000 रूपये इस प्रकार कुल 4000 रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया। उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसस्क्रिप्ट व सीडी तैयार करने की कार्यवाही परिवादी के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आने पर दो स्वतन्त्र गवाहान

की उपस्थिति में पृथक से की जावेगी। उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित हालात में कार्यालय की आलमारी के लॉक में रखा गया।

दिनांक 15.11.2022 को समय 08.10 ए.एम.पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री कुर्शेद, ए.सी.बी. कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 14.11.2022 को समय करीब 12.30 पी.एम.पर मैं आपके कार्यालय के कर्मचारी श्री महेश कुमार को कस्बा तिजारा में मौजूद मिला। इसके बाद श्री महेश कुमार कानि0 ए0सी0बी अलवर ने समय करीब 12.36 पी.एम.पर मेरे को ए.सी.बी. का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द किया एवं मुझे रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा के पास कस्बा तिजारा में स्थित उसके किराये के कार्यालय पर भिजवाया गया। जिस पर मैं श्री महेश कुमार कानि0 से डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर उसे अपने साथ लेकर अपनी केसीसी की चारों फाईलों सहित संदिग्ध आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर के पास, उसके किराये के कार्यालय पर गया, जहा पर श्री विष्णु कुमार पटवारी अपने उक्त कार्यालय में कागजों का काम करता हुआ मौजूद मिला, जिससे मैंने हमारी के0सी0.सी0 की फाईलों को तैयार करने के लिये कहा तो उसने मेरे से हमारी चारों फाईलों को लेकर उन्हे देखकर 500 रूपये प्रति फाईल के हिसाब से चारों फाईलों के 2000 रूपये तथा पूर्व में हमारी बहिनों के हक त्याग का नामान्तकरण हमारे पक्ष में दर्ज करने के खर्चे–पानी की बकाया फीस के नाम से 2000 रूपये इस प्रकार कुल 4000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा मेरे द्वारा उक्त रिश्वत राशि आज दिनांक 15.11.2022 को सुबह देने के लिये कहने पर उसने हमारी के.सी.सी. लोन की चारों फाईलों को अपने पास रख लिया और वह मेरे से कुल 04 हजार रूपये रिश्वत के लेने हेतु सहमत हो गया। मेरी, श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा से हुई सभी वार्तालाप को मैंने ए.सी.बी. के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं श्री विष्णु कुमार पटवारी के किराये के कार्यालय से बाहर आकर ए.सी.बी. का उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया, जिसको श्री महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तत्पश्चात उक्त समस्त बाते मैंने श्री महेश कुमार कानि0 को वही पर बता दी थी तथा मैंने श्री महेश कुमार कानि0 को यह भी बताया था कि मेरे पास संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नही है और तिजारा/अपने गॉव ही रूककर रिश्वत राशि की व्यवस्था करनी है। इसलिये मैं अलवर नही चल सकता है तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु मैं रिश्वत राशि 04 हजार रूपये की व्यवस्था होने पर दिनांक 15.11.2022 मंगलवार को सुबह करीब 08.00 बजे तक ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित हो जाउंगा। आज मैं अपने साथ संदिग्ध आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4,000 रूपये अपने साथ लेकर आया हूँ। तत्पश्चात परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 08.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान श्री हनुमान सिंह, कर सहायक एवं श्री प्रदीप कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक, वाणिज्यिक कर विभाग अलवर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान का आपसी परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद परिवादी श्री कुर्शेद से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री कुर्शेद द्वारा दिनांक 10.11.2022 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी–अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री कुर्शेद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 08.45 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री कुर्शेद के समक्ष दिनांक 14.11.2022 को परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी श्री विष्णु, पटवारी पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी का लॉक खोलकर बाहर निकालकर उसे विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी कुर्शेद द्वारा अपनी आवाज की व संदिग्ध आरोपी श्री विष्णु, पटवारी पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी श्री कुर्शेद ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क "ए–1", मार्क "ए–2" एवं मार्क "ए–3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री कुर्शेद के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपडे की थैलीयों पर भी मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया तथा मार्क

"ए–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। सिल्डशुदा सीडी मार्क ए–1 व ए–2 को जमा चौकी मालखाना करवाया गया।

तत्पश्चात दिनांक 15.11.2022 को समय 09.40 ए.एम. पर उक्त दोनो गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री कुर्शेद को संदिग्ध आरोपी श्री विष्णु, पटवारी पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री कुर्शेद अपने पास से 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000/–रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर को पेश किये। जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अंकित किया गया। श्री रामसिंह कानि0 549 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 4,000/– रूपये के नोटों को रखकर उक्त नोटों पर रामसिंह कानि0 549 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री कुर्शेद की जामा तलाशी गवाह श्री हनुमान सिंह से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 4,000/– रूपये को श्री रामसिंह कानि0 549 से परिवादी श्री कुर्शेद की पहनी हुई कमीज (कुर्ता) की बगल की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया गया। श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात परिवादी एवं दोनो गवाहान के समक्ष सोडियम कार्बोनेट एवं फिनॉफ्थलीन पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करवाकर उसकी उपयोगिता एवं महत्त्व के बारे मे समझाया गया। परिवादी श्री कुर्शेद को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करने के बारे मे समझाया गया दोनो गवाहान को आवश्यक हिदायत दी गई। श्री रामसिंह कानि0 549 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। वक्त लेन–देन के समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 14.11.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री कुर्शेद को सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करने की हिदायत दी गई। जिसकी पृथक से फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 10.10 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय स्वतन्त्र गवाह श्री हनुमान सिंह, कर सहायक एवं श्री प्रदीप कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक मय ए.सी.बी. स्टाफ सदस्य सर्व श्री भौरेलाल हैड कानि0 33, नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, श्री हरीश चन्द कानि0 503 एवं ब्यूरो चौकी अलवर द्वितीय से तलबशुदा उपस्थित आये श्री राजवीर कानि0 443, श्री रामजीत कानि0 209 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर दो प्राईवेट वाहनों में बैठाकर तथा परिवादी श्री कुर्शेद एवं श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी की मोटर साईकिल से हमराह लेकर एसीबी कार्यालय से वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब तिजारा, जिला अलवर के लिये रवाना हुआ तथा साथ ही श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय वाहन सरकारी टवेरा मय चालक श्री महेश कुमार के ट्रेप कार्यवाही के सुपरविजन हेतु पृथक से रवाना हुऐ तथा श्री रामसिंह कानि0 549 को मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय में ही छोडा गया।

दिनांक 15.11.2022 को समय 11.20 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के कस्बा तिजारा में श्याम धर्मकांटा के पास, अलवर रोड तिजारा पर स्थित संदिग्ध आरोपी श्री विष्णु कुमार पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा के किराये के कार्यालय के पास पहुंचा, जहॉ पर तीनों वाहनों को साईड में खडा करवाकर सभी को वाहनों से उतार कर समय 11.26 ए.एम. पर श्री महेश कुमार कानि0 462 से परिवादी का टेपरिकार्डर चालू करवाकर परिवादी श्री कुर्शेद को उसकी मोटर साईकिल से संदिग्ध आरोपी श्री विष्णु कुमार पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा जिला अलवर के पास उसके किराये के कार्यालय के लिये रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेपपार्टी सदस्यों के संदिग्ध आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी के किराये के कार्यालय के आप–पास मौका अनुसार अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

तत्पश्चात परिवादी श्री कुर्शेद ने समय 11.36 ए.एम.पर धर्मकांटा के पास, अलवर रोड तिजारा जिला अलवर स्थित कॉलोनी मे एक मकान मे बाहर की तरफ खुलते हुये कमरे से बाहर निकल कर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया। जिसको मन् पुलिस निरीक्षक एवं उक्त दोनो गवाहान ने देखा। परिवादी का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक

उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास पहुँचा। जहॉ पर परिवादी से ब्यूरो का राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त करके बंद कर अपने कब्जे लिया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि उक्त कमरे के अन्दर अपने कार्यालय मे बैठे हुये पटवारी श्री विष्णु कुमार ने मेरे से अभी अभी 04,000 रूपये की रिश्वत अपने दाहिने हाथ से ग्रहण करके अपने दाहिने हाथ से नोटो को अपने बैठने की कुर्सी के सामने रखी हुई टेबल की ऊपर की दराज मे रखे है तथा वह अभी वही पर बैठा हुआ है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक उक्त दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम सदस्यो तथा परिवादी श्री कुर्शेद को अपने साथ लेकर उक्त कमरे मे प्रवेश किया तो उक्त कमरे मे लगी हुई टेबल – कुर्सी पर एक नवयुवक बैठा हुआ एक पत्रावली मे लिखा–पढी कर रहा था, की और ईशारा करके बताया कि यह पटवारी विष्णु कुमार है, जिसने अभी अभी मेरे से 4,000 हजार रूप्ये मांग कर अपने हाथ मे लिये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त नवयुवक को अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर उसको अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपनी कुर्सी से उठकर अपनी नजरे झुका ली और उसके चेहरे की हवाईयां उड गयी और वह कुछ नही बोला। इस पर उक्त व्यक्ति को तस्सली देकर उससे उसका पुनः परिचय पूछा तो उसने अपना नाम–पता श्री विष्णु कुमार पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह, जाति यादव, निवासी ग्राम बिसदा, पुलिस थाना सेवर, जिला भरतपुर हाल पटवारी हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा जिला अलवर होना बताया। साथ ही पूछने पर उक्त मकान स्व. श्री फुलसिंह पटवारी का होना एवं उससे उक्त कमरे को अपने द्वारा पटवार हल्का का कार्य करने हेतु किराये पर लेना बताया। इस पर उक्त श्री विष्णु कुमार को परिवादी से कल दिनांक 14.11.2022 को मांगी गई एवं अभी ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो उक्त श्री विष्णु कुमार ने बताया कि यह कुर्शेद कल दिन मे मेरे पास आया था, तब इसने मेरे से अपने स्वंय एवं अपने तीन भाईयो के नाम से के.सी.सी. की पत्रावली तैयार करवाने के लिये मुझसे बातचीत की थी, तब मैने उसे नियमानुसार जो फीस लगती है, वह देने के लिये कहा था। तब इसने मुझे चार के.सी.सी. की पत्रावलियां तैयार करने को देकर गया था। उसके बाद यह मेरे पास से चला गया था, तब मैने इससे कोई पैसे नही लिये थे। उसके बाद आज अभी कुछ देर पहले यह मेरे पास आया था और उसने मुझे चार हजार रूपये दिये तो उनको मैने अपने दाहिने हाथ मे लेकर अपनी टेबल की दराज मे रख लिया और मै उसकी के.सी.सी. की पत्रावलियां तैयार कर रहा था और यह मेरे पास से बाहर चला गया उसके बाद यह आपके साथ वापस आया है। इस पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री कुर्शेद ने स्वतः ही बताया कि साहब यह झूंठ बोल रहा है। ग्राम सरेहट्टा में मेरी व मेरे भाईयों महमूद, आस मोहम्मद एवं मेरे भाभी सगरी व उसके बच्चों के नाम से सामलाती खातेदारी कृषि भूमि हमारे नाम से है। हम हमारी खातेदारी भूमि पर अपने–अपने हिस्से पर के.सी.सी. का लोन लेना चाहते है, जिसके लिये मैं हमारी जमीन की ई–मित्र वाले से ऑन लाईन सरकारी फीस जमा करवाकर केसीसी लोन के लिये चार फाईले तैयार करवाकर हमारे पटवार हल्का सरहेटा के पटवारी श्री विष्णु कुमार से दिनांक 10.11.2022 को मिला और हमारी जमीन पर के.सी.सी. लोन लेने हेतु हमारी चारों फाईलों में पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर फाईलें तैयार करने के लिये पटवारी को कहा तो श्री विष्णु कुमार पटवारी ने मेरे से कहा कि मैंने आपकी बहिनों के हकत्याग का नामान्तकरण दिनांक 20.10.2022 को आपके पक्ष में दर्ज कर तहसीलदार साहब से दिनांक 04.11.2022 को ऑनलाईन करवा दिया, उसके खर्चे पानी की फीस 2000 रू. आपने अभी तक नही दिये है और आप के.सी.सी. के लोन की फाईल तैयार करवाने के लिये मेरे पास आ गये हो आप कोई खर्चा–पानी तो कर नही रहें हो और फालतू की फोकट की बात करते हो। यदि आपको के.सी.सी. के लोन की फाईलें तैयार करवानी है, तो मुझें 2000 रू. तो आपके पहले जो हकत्याग के नामान्तकरण के खर्चे के बकाया है वो एवं 500 रू. प्रति फाईल के हिसाब से 2000 रू. केसीसी की इन चारों फाईलों के इस प्रकार कुल 4,000 रूपये देने पडेगें। आप मुझे पहले पैसें दोगें तब ही मैं आपकी चारों फाईलें तैयार करके दूंगा तथा बिना पैसे मै आपकी के.सी.सी. की फाइलो को तैयार नही करूंगा। मैं हमारे पटवारी श्री विष्णु कुमार को हमारे हकत्याग के नामान्तकरण को दर्ज करने के एवं हमारी के.सी.सी. के लोन की चार फाईले तैयार करने की एवज में उसको 4,000 रूपये रिश्वत के नही देकर उसे रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता था। इस पर मै कल दिनांक 14.11.2022 को आपके विभाग का टेप रिकॉर्डर लेकर इनके पास अपनी चारो के.सी.सी. की फाईलो को तैयार करवाने के लिये आया और इनसे मेरे काम के बारे मे बातचीत की तो इसने मेरे से 2000 रूपये तो हक त्याग के नामान्तकरण के खर्चे के बकाया व प्रति फाईल 500 रूपये के हिसाब से 2000 रूपये केसीसी की चारों फाईलों को तैयार कर देने की एवज मे इस प्रकार कुल 4,000 रूपये अपने लिये रिश्वत के मांगे थे और मेरे द्वारा रिश्वत राशि देने हेतु सहमत होने पर ही इसने मेरे से मेरी चारो पत्रावलियों को तैयार करने हेतु लेकर अपने पास रख ली। आज अभी मै इनके पास आया तब ये अकेले ही बैठे हुये थे, जिनसे मैने मेरी केसीसी की फाइलो के बारे मे बात की तो इसने मेरे से ईशारे से रिश्वत राशि लाने के बारे मे पूछा तो मैने अपने साथ चार हजार रूपये लेकर आने के बारे मे बताया, तब इसने अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ रिश्वत लेने के लिये आगे किया तो मैने अपने पास रखे हुये पाऊडर लगे चार हजार रूपये निकाल कर पटवारी जी

को दिये तो पटवारी जी ने मेरे से नोटो को अपने दाहिने हाथ मे लेकर उन्हे बिना गिने ही अपनी टेबल की दराज मे रख लिये और उसके बाद मे यह मेरी फाइलों को तैयार करने लग गये और मै इनके पास से बाहर आकर आपको रिश्वत राशि देने का ईशारा करने आ गया।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त कमरे मे रखे हुये पानी मे से वहां पर रखी हुई एक साफ बोतल मे पानी भरवाकर मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ काँच के गिलास निकालकर उन्हे हाजरीन के समक्ष उक्त साफ पानी से पुनः धुलवाकर साफ करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक गिलास के घोल में आरोपी श्री विष्णु कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गदमैला हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा –आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1, R -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री विष्णु कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1, L - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री विष्णु कुमार से रिश्वत राशि के बारे मे पूछा गया तो उसने अपनी बैठने की कुर्सी के सामने रखी टेबल की ऊपर की दराज मे रखे हुये होना बताया। इस पर गवाह श्री हनुमान सिंह से श्री विष्णु कुमार की कुर्सी के सामने रखी हुई टेबल की ऊपरी दराज को खोलकर देखने को कहा तो गवाह श्री हनुमान सिंह ने उक्त टेबल की ऊपरी दराज को खोला तो उसमे 500 रूपये के नोट मे कुछ रूपये सिमटे हुये रखे हुये होना बताया। इस पर उक्त गवाह को टेबल की दराज मे रखे हुये नोटो को उठाने के लिये कहा गया। जिस पर गवाह हनुमान सिंह ने दराज मे रखे हुये नोटो को उठाकर गिना तो उनमे 500–500 रूपये के आठ नोट कुल चार हजार रूपये होना बताया। इस पर दोनो गवाहान से उक्त बरामदशुदा नोटो के नम्बरो का पूर्व की तैयार की हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का हूबहू मिलान होना बताया। इस पर बरामदशुदा नोटो को गवाह श्री हनुमान सिंह के पास ही सुरक्षित रखवाये गये। गवाह ने उक्त बरामदशुदा चार हजार रूपये टेबल की दराज मे रखे हुये तहसीलदार तिजारा के कार्यालय आदेश क्रमांक/भू.अं./2022/3455 दिनांक 7.11.2022 की फोटो प्रति पर रखे हुये मिले थे, उक्त पत्र को भी गवाह हनुमान सिंह से टेबल की दराज से बाहर निकलवाया। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स से एक अन्य साफ काँच के गिलास को निकालकर उसे हाजरीन के समक्ष साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया। तत्पश्चात उक्त गिलास में साफ पानी भरकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स से साफ रूई का फौवा निकालकर रिश्वत राशि टेबल मे रखे हुये तहसीलदार तिजारा के कार्यालय आदेश क्रमांक/भू.अ./2022/3455 दिनांक 7.11.2022 की फोटो प्रति पर रखे हुये थी, उस स्थान पर रूई के फौवे को धुमाकर उस रूई के फौवे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर उसका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क P -1, P -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा रूई के फौवे को सुखाकर उसे एक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड करवाकर उस थैली पर पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क F अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया।

उक्त बरामदशुदा चार हजार रूपये टेबल की दराज मे रखे हुये तहसीलदार तिजारा के कार्यालय आदेश क्रमांक/भू.अ./2022/3455 दिनांक 7.11.2022 की फोटो प्रति को गवाह श्री हनुमान सिंह के पास सुरक्षित रखवाया। बरामदशुदा रिश्वत राशि एवं उक्त कार्यालय आदेश की प्रति की अलग से जब्ती की कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। आरोपी श्री विष्णु कुमार से परिवादी से संबंधित चारो के.सी.सी. की पत्रावली के बारे मे पूछा गया तो उसने परिवादी श्री कुर्शेद, उसके भाईयों महमूद, आस मोहम्मद एवं उसकी भाभी सगरी के नाम की चार के.सी.सी पत्रावलियां अपने पास रखी हुई टेबल से उठाकर पेश की, जिनको हमराह ली गई। जिसे अलग से जब्ती की कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।

चूँकि घटना स्थल पर बैठकर कार्य करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था नही होने एवं ग्रामीण क्षैत्र होने से बार बार लाईट जाने की समस्या होने के कारण अग्रिम कार्यवाही किये जाने योग्य उपयुक्त स्थान नही होने के कारण जब्तशुदा आर्टीकल्स को सुरक्षित हालात मे ट्रेप बॉक्स मे रखकर परिवादी कुर्शेद,

आरोपी श्री विष्णु कुमार पटवारी, दोनो गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ को मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप इत्यादि सहित हमराह लेकर गये वाहन मे बैठाकर अपने हमराह लेकर समय 12.30 पी.एम. पर मौके से रवाना होकर समय 12.45 पी.एम. पर पुलिस थाना तिजारा पर पहुंचा। सभी हमराहियान को वाहनो से उतारकर थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष मे बैठाया जाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। गवाह श्री हनुमान सिंह के पास मौके से बरामदशुदा रिश्वती राशि रखवाई गई थी, को पेश करने हेतु कहा तो उसने अपने पास से बरामदशुदा रिश्वत राशि 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 04,000 रूपये मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। उक्त नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाया गया तथा उपरोक्त नोटो के नम्बरो का पुनः मिलान करवाया जाने पर नोटो के नम्बरो का मिलान सही होना पाये गये। उक्त बरामदशुदा चार हजार रूपये टेबल की दराज मे रखे हुये तहसीलदार तिजारा के कार्यालय आदेश क्रमांक/भू.अ./2022/3455 दिनांक 7.11.2022 की फोटो प्रति को गवाह श्री हनुमान सिंह के पास सुरक्षित रखवाया, को पेश किया जिस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पत्र की प्रति एवं बरामदशुदा उपरोक्त 500–500 रूपये के 08 नम्बरी नोटो राशि 04,000 रूपये को एक साथ कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त लिफाफे पर मार्क TR अंकित कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर लिफाफे को सील्ड कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया। परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत राशि लेन–देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी अलग से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सी.डी. तैयार की जावेगी। परिवादी एवं आरोपी श्री विष्णु कुमार को अलग–अलग एवं एक साथ करके आपसी कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो दोनो ने कोई आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया नही होने एवं कोई फीस इत्यादि बकाया नही होने बाबत बताया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री कुर्शेद एवं उसके भाईयों व उसकी भाभी, उसके भतीजों के पक्ष में दर्ज किये गये हक त्याग के नामान्तकरण एवं उक्त की चार के. सी.सी. की फाईलें तैयार करने के कार्यो से सम्बन्धित रिकार्ड की सत्यापित प्रतियों को जरिये फर्द जब्त किया गया।

तत्पश्चात समय 05.00 पी.एम. पर आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का, सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री कुर्शेद से उसके स्वय एवं उसके भाईयो व अन्य परिवारजनो के नाम पर पूर्व मे किये गये हकत्याग नामान्तकरण दर्ज करने एवं परिवादी श्री कुर्सेद, उसके भाई महमूद, आस मोहम्मद एवं उसकी भाभी सगरी, भतीजे उमरखान के नाम की के.सी.सी. की पत्रावलियो मे क्षैत्रीय तहसीलदार का भूमि प्रमाण पत्र तैयार कर देने की एवज मे दिनांक 14.11.2022 को 4,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना एवं अपने उक्त रिश्वत मांग के क्रम मे परिवादी से दिनांक 15.11.2022 को ही अपने स्वंय के लिये 04,000 रूपये की रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथ से ग्रहण कर अपने हाथ से अपनी टेबल की दराज मे रखना एवं परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 04,000 रूपये उक्त आरोपी के अपने कब्जे की टेबल की दराज से बरामद होने के जुर्म में आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का, सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द हस्ब कायदा अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 मे गिरफ्तार किया गया।

तत्पश्चात समय 05.30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, मय परिवादी, एसीबी जाब्ता मय ट्रैप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप कार्यवाही के दौरान जब्त/सील्ड शुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि के मय गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री विष्णु कुमार, पटवारी के एक प्राईवेट वाहन व एक सरकारी वाहन के मौका पुलिस थाना तिजारा, जिला भिवाडी (अलवर) से रवाना होकर घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर एवं आरोपी के किराये के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी लेकर मौके से समय 06.30 पी.एम.पर रवाना होकर समय 07.40 पी.एम.पर एसीबी कार्यालय, अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया। गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी को ए.सी.बी. स्टाफ की निगरानी में कार्यालय में बैठाया गया तथा ट्रेप बॉक्स एवं जब्तशुदा रिश्वती राशि/आर्टिकल्स को कार्यालय में रखवाया जाकर दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री कुर्शेद एवं आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का, सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर के मध्य दिनांक 15.11. 2022 को रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री कुर्शेद द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का, सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर

क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क "बी–1", मार्क "बी–2" एवं मार्क "बी–3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री कुर्शेद के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क "बी–1" व मार्क "बी–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "बी–1" व मार्क "बी–2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया तथा मार्क "बी–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस. डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 14.11.2022 को परिवादी व आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ताऐं एवं दिनांक 15.11.2022 को परिवादी व आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय हुई रूबरू वार्ताऐं रिकार्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत लेन–देन वार्ता तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात समय 09.30 पी.एम. पर उक्त ट्रैप कार्यवाही के दौरान जब्त किये गये समस्त आर्टीकल्स को सील्ड मुहर करने व फर्दात पर नमूनाशील अंकित करने के लिए प्रयोग में ली गई, कार्यालय की नमूना ब्राशसील नं. 41 पीतल को बाद कार्यवाही दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू श्री महेश कुमार कानि0 462, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर से तुडवाकर नष्ट करवाई गई। जिसकी फर्द नष्टीकरण नमूना ब्राशसील नं. 41, पृथक से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की जाकर जब्त / सिल्डशुदा समस्त आर्टिकल्स, जब्तशुदा रिश्वती राशि 04 हजार रूपये को जमा चौकी मालखाना करवाया गया। तथा समय 10.15 पी.एम. पर परिवादी श्री कुर्शेद एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान से सम्बन्धित कोई कार्यवाही शेष नही है। अतः मन पुलिस निरीक्षक द्वारा बाद कार्यवाही परिवादी श्री कुर्शेद एवं दोनों गवाहान को ब्यूरों कार्यालय से रूकसत किया गया तथा साथ ही ए.सी.बी. चौकी अलवर द्वितीय, अलवर से आमदा स्टाफ सदस्य सर्वश्री राजवीर कानि0 443, रामजीत कानि0 209 एवं श्री महेश कुमार कानि0 चालक को भी मय वाहन सरकारी टवेरा के जाय तैनाती ए.सी. बी. चौकी अलवर द्वितीय अलवर के लिये रवाना किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का, सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री कुर्शेद से उसके स्वय एवं उसके भाईयो व अन्य परिवारजनो के नाम पर पूर्व मे किये गये हकत्याग का नामान्तकरण दर्ज करने एवं परिवादी श्री कुर्सेद, उसके भाई महमूद, आस मोहम्मद एवं उसकी भाभी सगरी, भतीजे उमरखान के नाम की के.सी.सी. की पत्रावलियो मे क्षैत्रीय तहसीलदार का भूमि प्रमाण पत्र तैयार कर देने की एवज मे दिनांक 14.11.2022 को 4,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना एवं अपने उक्त रिश्वत मांग के क्रम मे परिवादी से दिनांक 15.11.2022 को ही अपने स्वंय के लिये 04,000 रूपये की रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथ से ग्रहण कर अपने हाथ से अपनी टेबल की दराज मे रखना एवं परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 04,000 रूपये उक्त आरोपी के अपने कब्जे की टेबल की दराज से बरामद होने पर आरोपी श्री विष्णु कुमार, पटवारी, पटवार हल्का, सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री विष्णु कुमार पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह, जाति अहीर, उम्र 31 साल, निवासी ग्राम बिसदा, पोस्ट झारोली, पुलिस थाना सेवर, तहसील व जिला भरतपुर, हाल पटवारी, पटवार हल्का, सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(प्रेमचन्द)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अलवर प्रथम, अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विष्णु कुमार पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह, पटवारी, पटवार हल्का सरहेटा, तहसील तिजारा, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 443/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

16/11/22

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3836-39 दिनांक 16.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. जिला कलक्टर, अलवर।
3. उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

16/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।